

## बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपवधि 2022 की स्वीकृति

### चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपवधि 2022 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पहली बार सरकार ने सगिल यूज्ड पॉलथीन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।

### प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सद्दिकारथ ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार में अब सगिल यूज्ड पॉलथीन और उससे बनी वस्तुओं का उपयोग करने वालों को जुर्माना देना होगा। इसका निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण व बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने की राशा तय कर दी गई है।
- प्रावधान के मुताबिक स्थानीय निकाय को बिना सूचना दिये और इस बाइलॉज के अनुसार व्यवस्था किये बिना कोई भी खेल और सभा आयोजित करना और इसमें सगिल यूज्ड पॉलथीन का उपयोग किया जाना भी गैरकानूनी होगा।
- 100 से अधिक व्यक्तियों को जमा करने पर जमिंदार आयोजक पर पहली बार 1500 रुपए दूसरी बार दो हजार रुपए और उसके बाद हर बार 2500 रुपए का जुर्माना देना होगा। एक से अधिक आयोजक होने पर उन सभी को अलग-अलग जुर्माना राशा देनी होगी।
- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सगिल यूज्ड वाले पॉलथीन और इससे बनी वस्तुओं में इयर बड्स की प्लास्टिक की डंडिया, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडिया, आइसक्रीम की डंडिया, सजावट के लिये पॉलिसिटाइरनि (थर्मोकोल) से बने समान, कप, प्लेट, गलास, कटलरी के सामान जैसे काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्ट्रॉ, साथ ही मटिई के डबिबों, निर्मितरण कार्ड और सगिरेट के पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करनेवाली प्लास्टिक की फलिमें और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर शामिल हैं।
- नगर निकायों के अधिकारिता क्षेत्र में इयर बड, झंडे, कैंडी स्टिक, प्लेट कप, काँटा-चम्मच जैसी सामग्रियों का उपयोग करने वालों पर पहली बार दो हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, दूसरी बार इनके उपयोग या बेचनेवाले को तीन हजार रुपए और उसके बाद हर बार दोहराए जाने पर पाँच हजार रुपए की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार से इन सामग्रियों की कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं पर पहली बार 1500 रुपए, दूसरी बार 2500 रुपए और उससे अधिक बार उपयोग करने पर 3500 रुपए प्रत्येक बार जुर्माना लिया जाएगा।
- इसके अलावा मल्टी लेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु के शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधनों के अनुसार निर्मित लेबल या मार्क नहीं किये गए हैं, के उपयोग करने पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार तीन हजार और उससे अधिक होने पर हर बार पाँच हजार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।
- प्लास्टिक को खुले में जलाने पर पहली बार दो हजार रुपए, दूसरी बार तीन हजार रुपए और उसके बाद प्रतिबार पाँच हजार रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थलों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों और अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर पहली बार एक हजार रुपए, दूसरी बार 1500 रुपए और उसके बाद हर बार दो हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।